प्रकाशन हेतु अनुमोदित

युगलपीठ

माननीय श्री न्यायमूर्ति आई.एम. कुद्दुसी और

माननीय श्री न्यायमूर्ति एन.के. अग्रवाल

रिट याचिका क्रमांक 3926/2005

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका)

याचिकाकर्ता देवशरण दिल्लीवार और अन्य

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश विचारार्थ प्रस्तुत

सही /-

आई.एम. कुद्दुसी

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल

सही /-

एन.के. अग्रवाल

न्यायाधीश

आदेश के लिए 19/ 10/ 2011 को सूचीबद्ध करें

सही /-

आई.एम. कुद्दुसी

न्यायाधीश

युगलपीठ

माननीय श्री न्यायमूर्ति आई.एम. कुद्दुसी और

माननीय श्री न्यायमूर्ति एन.के. अग्रवाल

रिट याचिका क्रमांक 3926/2005

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका)

याचिकाकर्ता देवशरण दिल्लीवार और अन्य

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और अन्य

उपस्थित:

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता, और श्री वैभव शुक्ला, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से श्री संजय के अग्रवाल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3 से 41 की ओर से श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 19.10.2011 को पारित)

न्यायमूर्ति आई.एम. कुद्दुसी द्वारा:

1. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने, जो पहले छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिला न्यायालयों से उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर आए थे और बाद में उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा संविलियन कर लिए गए, निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुतोष मांगी हैं:-

- "माननीय न्यायालय कृपया नियुक्ति आदेशों (अनुलग्नक पी-7, पी-8 और पी-9) के उस हिस्से को अभिखंडित करने की कृपा करें जिसमें इसे केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश माना गया है।
- 1.5.2004 और 27.12.2004 को प्रकाशित सहायक श्रेणी -**III** की वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक पी/21 और पी/26) को भी अभिखंडित करने की कृपा करें।
- उत्तरवादी क्रमांक 1 को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता की गणना उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में सहायक श्रेणी -**III** के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ही नहीं, बल्कि उस तारीख से करे जिस तारीख से याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में कार्यभार ग्रहण किया था, और सहायक श्रेणी -**II** और सहायक श्रेणी -**I** के रूप में पदोन्नति के मामले में, जिला न्यायालयों में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को भी ध्यान में रखा जाए।
- उत्तरवादी क्रमांक 1 को यह भी निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ताओं को उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किए जाने की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से सहायक श्रेणी -**II** और सहायक श्रेणी -**I** के पद पर पदोन्नति देने की कृपा करें।
- माननीय न्यायालय कृपया याचिकाकर्ताओं को उनकी वरिष्ठता को पुनः निर्धारित करने पर, जिसमें जिला न्यायालयों में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को ध्यान में रखा गया हो, उत्पन्न होने वाले सभी परिणामी लाभ देने की भी कृपा करे।
- माननीय न्यायालय कृपया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12 (2) (ग) को मनमाना, भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण होने से तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अधिकारातीत के रूप में घोषित करने की भी कृपा करे।"

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को शुरू में तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिला न्यायालयों में अलग-अलग पदों पर नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन और बिलासपुर में नए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद, उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में आवश्यक पदों को कम से कम समय में भरने की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सामान्य प्रक्रिया में भर्ती में अधिक समय लगेगा, उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा उपयुक्त व्यक्तियों को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिनियुक्ति पर लेने का निर्णय लिया गया और तदनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 17.1.2001 को राज्य के सभी जिला न्यायालयों को एक पत्र जारी किया गया ताकि वे प्रतिनियुक्ति पर उत्तरवादी क्रमांक 1 में शामिल होने के लिए सहमत श्रेणी -III कर्मचारियों की सूची भेज सकें। उक्त पत्र के अनुसरण में, संबंधित जिला स्थापना ने यहाँ के याचिकाकर्ताओं के नाम अग्रेषित किए, क्योंकि उन्होंने उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में सेवा करने की सहमति व्यक्त की थी। तदनुसार, अनुलग्नक पी-7, पी-8 और पी-9 के आदेशों के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में सहायक श्रेणी -III के रूप में नियुक्त किया गया, अर्थात, उस पद के समकक्ष श्रेणी जिस पर याचिकाकर्ता पहले से ही जिला स्थापना में कार्यरत थे। याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति आदेश में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता दो साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे और उन्हें 26 फरवरी, 2001 को कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया था। नियुक्ति आदेशों के अनुपालन में, याचिकाकर्ताओं ने क्रमशः 26.2.2001 और 5.2.2001 को उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में अपनी सेवाएँ ग्रहण कीं 06.11.2003 को उत्तरवादी क्रमांक 1 ने, याचिकाकर्ताओं की प्रतिनियुक्ति अवधि को समय-समय पर बढ़ाते हुए, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल थे, से उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में उनके संविलियन के लिए विकल्प आमंत्रित किए और याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए सहमति दी। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के अनुसरण में, दिनांक 28.04.2004 के आदेश (अनुलग्नक पी-20) के माध्यम से उनकी सेवाओं को सहायक श्रेणी -III के पद पर उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संविलियन कर लिया गया। याचिकाकर्ताओं के संविलियन के बाद, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने कर्मचारियों से आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुए 01.05.2004 को सहायक (श्रेणी -III) की एक अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की। याचिकाकर्ताओं ने पाया कि सहायक श्रेणी -III की अनंतिम सूची में उनके नाम उन कर्मचारियों से नीचे दिखाए गए थे जो उनके बाद यानी यहाँ उत्तरवादी क्रमांक 3 से 41 की नियुक्ति उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में हुई थी। उन्होंने तुरंत अपनी आपत्तियाँ निवेदन कीं और उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी वरिष्ठता तय करने और सहायक श्रेणी -III के कैडर में अंतिम वरिष्ठता सूची में उचित स्थान देने की प्रार्थना की, अर्थात, उन्हें यहाँ उत्तरवादी क्रमांक 3 के नामों से ऊपर रखा जाए। हालांकि, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को नज़रअंदाज़ करते हुए और वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ताओं के स्थान के संबंध में कोई सुधार किए बिना, 27.12.2004 को अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की, जिसमें भी याचिकाकर्ताओं के नाम यहाँ उत्तरवादी क्रमांक 3 से 41 के नामों के नीचे दिखाए गए थे। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी क्रमांक 1 के समक्ष विभिन्न अभ्यावेदन निवेदन किए, लेकिन जब याचिकाकर्ताओं को उनके अभ्यावेदनों पर कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने यह वर्तमान रिट याचिका दायर की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सहायक श्रेणी -III के कैडर में याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता को उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से गिना जाना चाहिए, यानी क्रमशः 22.2.2001

और 2.2.2001 से, और नियम 1961 के नियम 12 (2) (ग) के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को उनकी वरिष्ठता देना, यानी उनके संविलियन की तारीख से, मनमाना है क्योंकि यह उत्तरवादी क्रमांक 1 के साथ 'प्रतिनियुक्ति' के रूप में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा को समाप्त कर देगा, और इसलिए, नियम 1961 नियम 12 (2) (ग) को भारत के संविधान के अधिकारातीत होने के कारण निरस्त किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश राज्य, यानी मूल विभाग जिसने मूल रूप से 1961 के नियम बनाए थे और जिसे छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने गठन के बाद अनुकूलित किया था, ने विधि के प्रावधान में त्रुटि को महसूस करते हुए, 16.02.2005 की अधिसूचना के माध्यम से नियम 1961 नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (ग) में संशोधन किया था और 'वर्तमान विभाग' के स्थान पर 'मूल विभाग' शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है और 'जो भी बाद में हो' शब्दों के स्थान पर 'जो भी पहले हो' शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.आई. रूपलाल और एक अन्य बनाम उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, दिल्ली और अन्य 2000 के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को दो साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था और उक्त अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था। उसके बाद, दिनांक 06.11.2003 के ज्ञापन के माध्यम से, प्रतिनियुक्ति पर आए सभी कर्मचारियों से उनके संविलियन के लिए विकल्प आमंत्रित किए गए थे और उक्त ज्ञापन में उन सभी को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि वे

संविलियन का विकल्प चुनते हैं, तो उनकी वरिष्ठता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिनांक 02.04.1998 की अधिसूचना के साथ पढ़े गए नियम 1961 नियम 12 (2) (ग) के अनुसार गिनी जाएगी। यहाँ याचिकाकर्ताओं ने अपने संविलियन का विकल्प चुना और इसलिए दिनांक 28.4.2004 के आदेश (अनुलग्नक पी-20) के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में संविलियन कर लिया गया और उसके बाद उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा सहायक श्रेणी -**III** की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं को उनकी संविलियन की तारीख से उचित स्थान दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता अब अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं और अपने संविलियन को चुनौती नहीं दे सकते हैं, जिसे उन्होंने खुली आँखों से स्वीकार किया है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर उनकी नियुक्ति से पहले याचिकाकर्ता जिला न्यायालय स्थापना में नियमित आधार पर समकक्ष पद, यानी सहायक श्रेणी -**III** कैडर पद, पर कार्यरत नहीं थे और इसलिए वे उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से उनके द्वारा दिनांक 06.11.2003 के ज्ञापन के अनुसरण में निवेदन विकल्प के अनुसार वे ऐसा दावा नहीं कर सकते ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादी क्रमांक 3 से 41 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी आपत्ति या विरोध के अपने संविलियन को स्वीकार करने के बाद, नियम 1961 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जो विधि के तहत अनुमेय नहीं है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि वरिष्ठता की गणना के लिए सबसे सुरक्षित मापदंड मूल नियुक्ति

की तारीख है और वर्तमान मामले में उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की तारीख 28.4.2004 है और इसलिए, उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा 27.12.2004 की वरिष्ठता सूची के माध्यम से तय की गई वरिष्ठता उचित है। उन्होंने आगे तर्क निवेदन किया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति से पहले, याचिकाकर्ता संबंधित जिला न्यायालयों के या तो अस्थायी या अस्थायी कर्मचारी थे और इसलिए वे उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर उनकी नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता दिए जाने के हकदार नहीं हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इंदु शेखर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(2006) 8 **SCC** 129] में की गई है, के निर्णय का अवलंब लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी हैं। हमने अभिलेख का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

7. रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभिवचनों और याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों से, हम पाते हैं कि इस मामले में विवाद नियम 1961 के नियम 12(2)(ग) की संवैधानिक वैधता तक सीमित है, जैसा कि 1998 तक संशोधित किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत यह है कि नियम 1961 के नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (ग) में 'वर्तमान विभाग' और 'जो भी बाद में हो' जैसे भावों का उपयोग करने का प्रभाव यह होता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मूल विभाग में समकक्ष कैडर में प्रदान की गई सेवा, या कम से कम उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में प्रतिनियुक्ति के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा, छिन जाती है, और

इसलिए, यह मनमाना, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अधिकारातीत है।

8. चूंकि पूरा विवाद नियम 1961 के नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो उस समय लागू था जब याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्ति के संवलियन के संबंध में नियम नहीं बनाए थे और नियम 1961 के नियम लागू किए गए थे, हम इसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**(c)** ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे शुरू में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है और बाद में संविलियन किया जाता है (अर्थात, जहां संबंधित भर्ती नियम प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर स्थानांतरण का प्रावधान करते हैं) जिस श्रेणी में वह संविलियन होता है, उसमें उसकी वरिष्ठता सामान्य तौर पर संवलियन की तारीख से गिनी जाएगी। यदि वह हालांकि (संविलियन की तारीख पर) अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर वही या समकक्ष श्रेणी पहले से धारण कर रहा है, तो उस श्रेणी में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता तय करने में ध्यान में रखा जाएगा, इस शर्त के अधीन कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जाएगी जिस तारीख से वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है या उस तारीख से जब से उसे उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष श्रेणी पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, इन दोनों में से जो भी बाद में हो।"

9. इस स्तर पर, यह उल्लेख करना उपयोगी होगा कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 16.2.2005 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियम 12 (2) के खंड (ग) में निम्नलिखित आगे संशोधन किए, जो इस प्रकार हैं:

"(1) "वर्तमान विभाग" शब्दों के स्थान पर "मूल विभाग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। यह संशोधन 2 अप्रैल, 1998 से प्रभावी माना जाएगा;

(2) "जो भी बाद में हो" शब्दों के स्थान पर "जो भी पहले हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। यह संशोधन 14 दिसंबर, 1999 से प्रभावी माना जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालांकि उपरोक्त संशोधन से संबंधित राजपत्र अधिसूचना वर्ष 2005 में जारी की गई थी, लेकिन संशोधनों को मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन की तारीख से बहुत पहले प्रभावी माना गया है। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1.11.2000 को हुआ था और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, लेकिन किसी भी मामले में, वह संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य में तब तक प्रभावी नहीं किया जा सकता जब तक कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इसे नहीं अपनाया जाता या राज्य स्वयं अपने संशोधन नहीं करता जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य ने वर्ष 2005 में अधिसूचित किया है।

10. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब संभावित अन्याय की भावना होती है तो क़ानून में प्रयुक्त शब्दों का सादा अर्थ लेने का सहारा नहीं लिया जाएगा। ऐसे मामले में, उनके प्राथमिक और अयोग्य अर्थों में शब्दों का सरल अनुप्रयोग हमेशा पर्याप्त नहीं होता

है और कभी-कभी यह क़ानून से ही और विषय वस्तु की प्रकृति और जिन बुराइयों का निवारण किया जाना है, उनसे संग्रहीत विधि निर्माता के स्पष्ट आशय को पूरा करने में विफल रहता है। यदि सादे शब्द स्पष्ट रूप से कुछ अन्याय या बेतुकापन की ओर ले जाते हैं और विधान के दायरे और उद्देश्य से भिन्न हैं, या उनकी आवश्यकता नहीं है, तो आगे जांच करना और व्याख्या के कुछ स्थापित नियमों द्वारा यह परीक्षण करना आवश्यक होगा कि विधानमंडल का वास्तविक और सच्चा आशय क्या था और उसके बाद शब्दों को लागू करना यदि वे इस आशय को प्रभावी करने में सक्षम हों। जहाँ सांविधिक प्रावधान की सादी शाब्दिक व्याख्या से स्पष्ट रूप से ऐसा अन्याय होता है जिसका विधानमंडल का कभी आशय नहीं था, तो न्यायालय विधानमंडल के आशय को प्राप्त करने और एक तर्कसंगत निर्माण उत्पन्न करने के लिए विधानमंडल द्वारा उपयोग की गई भाषा को संशोधित करने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. एच.एस. वनकानी बनाम गुजरात राज्य, जिसका प्रकाशन (2010) 4 **SCC** 301 में किया गया है, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है:-

> "43. यह निर्माण का एक सुविदित नियम है कि किसी क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि उन्हें एक समझदारी भरा अर्थ मिले। विधायिका न्यायालय से यह उम्मीद करती है कि वह इस सिद्धांत का पालन करे कि **ut res magis valeat quam pereat** (यह बेहतर है कि किसी चीज का प्रभाव हो बजाय इसके कि उसे शून्य कर दिया जाए)। इस सिद्धांत का यह भी अर्थ है कि यदि विधि का स्पष्ट आशय क्रियान्वयन में बाधाएँ

उत्पन्न करता है, तो न्यायालय को उन बाधाओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि बेतुके परिणामों से बचा जा सके। यह विधियों की व्याख्या का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी सांविधिक प्रावधान पर ऐसी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए जो स्पष्ट रूप से निरर्थकता, व्यर्थता, प्रत्यक्ष अन्याय और बेतुकी असुविधा या विसंगति की ओर ले जाए।"

12.श्यामराव बनाम जिला मजिस्ट्रेट, थाना के मामले में, जिसका प्रकाशन **AIR** 1952 **SC** 324 में की गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "किसी क़ानून के निर्माण का उद्देश्य विधायिका के उद्देश्य का पता लगाना है, और यह माना जा सकता है कि विधायिका का उद्देश्य न तो अन्याय और न ही बेतुकापन । इसलिए, यदि शाब्दिक व्याख्या ऐसा परिणाम उत्पन्न करेगी, या भाषा ऐसी व्याख्या की अनुमति देती है जो अन्याय या बेतुकेपन से बचेगी, तो ऐसी व्याख्या को अपनाया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13.उपरोक्त संबंध में निम्नलिखित सूत्रों का भी उल्लेख किया जा सकता है:

- **Ut res magis valeat**, **quam pereat**; इसका अर्थ है: कोई कार्य विफल होने के बजाय सफल हो। यह एक निर्माण का नियम है जो उस नियम को रेखांकित करता है, जो किसी अस्पष्ट दस्तावेज़ (या उसमें अस्पष्ट शब्दों) पर ऐसी व्याख्या करने का निर्देश देता है कि वह दस्तावेज़ वैध रहे और अनिश्चितता या अवैधता या अन्य समान कारण से अमान्य न हो जाए।

- **Benignae faciendae sunt interpretations, propter simplicitatem laicorum, ut res magis valeat, quam pereat; et verba intentional non e contra debent inservire.**;- इसका अर्थ है: साधारण लोगों की सादगी को ध्यान में रखकर व्याख्याएँ उदारतापूर्वक की जानी चाहिए, ताकि वस्तु नष्ट होने के बजाय बनी रहे; और शब्दों को उद्देश्य के अधीन होना चाहिए, न कि उसके विपरीत। न्यायाधीश दस्तावेज़ के शब्दों को उसके कानूनी आशय को पूरा करने के लिए लागू करेंगे, बजाय इसके कि अपर्याप्त भाषा के कारण ऐसे आशय को नष्ट कर देंगे , क्योंकि उद्देश्य का एक बार पता चलने के बाद, अभिव्यक्ति के सभी तकनीकी रूपों को रास्ता देना पड़ता है। लेकिन इस सूत्र को लागू करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उद्देश्य को दस्तावेज के बाहर की किसी भी चीज़ से निर्वचित नहीं किया जाना चाहिए...

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- **Benignior sentential, in verbis generalibus vel dubiis, est praeferenda**:- इसका अर्थ है: जहाँ शब्द सामान्य या संदिग्ध हों, वहाँ उस व्याख्या को प्राथमिकता दी जाएगी जो अधिक उदार हो।

14.सब इंस्पेक्टर रूपलाल (पूर्वोक्त) के मामले में, कुछ हद तक समान परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार माना है: -

> "20. ऊपर उल्लिखित रिट याचिका में चुनौती दिए गए ज्ञापन का सुसंगत भाग इस प्रकार है:

"यहां तक कि ऊपर बताए गए प्रकार के मामलों में भी, यानी, जहां एक अधिकारी शुरू में प्रतिनियुक्ति पर आता है और बाद में संविलियन होता है, सामान्य सिद्धांत कि वरिष्ठता की गणना ऐसे संविलियन की तारीख से की जानी चाहिए, मुख्य रूप से लागू होना चाहिए। हालांकि, जहां अधिकारी पहले से ही (संविलियन की तारीख पर) अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर समान या समकक्ष श्रेणी धारण कर रहा है, यह न्यायसंगत और उचित होगा कि श्रेणी में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाए, केवल इस शर्त के अधीन कि यह अधिक से अधिक केवल उस श्रेणी में प्रतिनियुक्ति की तारीख से होगा जिसमें संविलियन किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण संविलियन की तारीख से पहले की गई किसी भी नियमित पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा। तदनुसार,कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 22-12-1959 के माध्यम से सूचित सामान्य सिद्धांतों के पैरा 7 में निम्नलिखित उप-पैरा (**iv**) जोड़ने का निर्णय लिया गया है:

'(**iv**) ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे शुरू में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है और बाद में संविलियन किया जाता है (अर्थात, जहां संबंधित भर्ती नियम "प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर स्थानांतरण" का प्रावधान करते हैं), जिस श्रेणी में वह संविलियन होता है, उसमें उसकी वरिष्ठता सामान्य तौर पर संविलियन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की तारीख से गिनी जाएगी। यदि उसने हालांकि (संविलियन की तारीख पर) अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर वही या समकक्ष श्रेणी पहले से धारण कर रखा है, तो उस श्रेणी में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता तय करने में ध्यान में रखा जाएगा, इस शर्त के अधीन कि उसे वरिष्ठता दी जाएगी—

- उस तारीख से जिस तारीख से वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है, या
- उस तारीख से जब से उसे उसके मूल विभाग में उसी या समकक्ष श्रेणी पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, इन दोनों में से जो भी बाद में हो।'

(बल दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ज्ञापन के खंड **(iv)** का अवलोकन दर्शाता है कि इस ज्ञापन के रचियता ने मूल विभाग में प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्ति के वरिष्ठता गिनने के अधिकार के संबंध में असंगत विचार रखे हैं। जबकि खंड **(iv)** के शुरुआती भाग में वह स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि एक प्रतिनियुक्ति वाला व्यक्ति मूल विभाग में नियमित आधार पर एक समकक्ष श्रेणी धारण करता है, तो ऐसी नियमित सेवा को भी वरिष्ठता तय करने में ध्यान में रखा जाएगा। बाद के भाग में ज्ञापन के रचियता आगे कहते हैं—

'... इस शर्त के अधीन कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जाएगी जिस तारीख से वह पद धारण कर रहा है या उस तारीख से जब से उसे उसके मूल विभाग

में उसी या समकक्ष श्रेणी पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, इन दोनों में से जो भी बाद में हो वह तारीख लागू की जाएगी "

"जो भी बाद में हो" शब्दों का उपयोग उस अधिकार को नकारता है जिसे अन्यथा ज्ञापन के खंड **(iv)** के पिछले पैराग्राफ के तहत प्रदान करने की मांग की गई थी। हम इसके पीछे का तर्क देखने में असमर्थ हैं। "जो भी बाद में हो" शब्दों का उपयोग अतार्किक होने के कारण, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह भी अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है कि यह ज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का और उल्लंघन करता है क्योंकि यह मनमाने ढंग से प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्ति द्वारा दिल्ली पुलिस में संविलियन होने पर प्रदान की गई सेवा को छीन लेता है, जिसे विधि के अधिकार के बिना एक सिविल सेवक का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। हमने पहले ही ध्यान दिया है कि याचिकाकर्ता, जो सिविल अपीलों में अपीलकर्ता हैं, अपनी प्रतिनियुक्ति की तारीख पर बीएसएफ में सब-इंस्पेक्टर के रूप में नियमित रूप से नियुक्त थे। हमने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि बीएसएफ में उनके द्वारा धारित सब-इंस्पेक्टर का पद दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी) के पद के समकक्ष है जिस पर उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया था। ऐसी स्थिति में, आर.एस. मकाशी, विंग कमांडर जे. कुमार और माधवन के मामलों में दिए गए निर्णय के अनुसार, यह स्पष्ट है कि वे दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी) के कैडर में वरिष्ठता के उद्देश्य से बीएसएफ में सब-इंस्पेक्टर के पद पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को गिनने के हकदार हैं। इसलिए, अपीलकर्ता-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओं के ऐसे अधिकार को उस कार्यालयीन ज्ञापन की आड़ में नहीं छीना जा सकता है जिसे उपरोक्त रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

हमारे इस विचार को के. अंजैया बनाम के. चंद्रैया के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णयसे समर्थन मिलता है। उस मामले में यह न्यायालय एक सांविधिक विनियम पर विचार कर रहा था जिसने लगभग समान शब्दों का उपयोग किया था जो उस कार्यालय ज्ञापन में उपयोग किए गए थे जिससे हम संबंधित हैं, जिसने सिविल सेवकों को उनके मूल विभाग में उनकी पिछली सेवा से वंचित कर दिया था। उक्त मामले में शामिल विनियम इस प्रकार था:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9. (1) अन्य विभागों से लिए गए व्यक्ति अपनी सेवा जारी रखेंगे और उन्हें आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए या जब तक वे आयोग में स्थायी रूप से संविलियन नहीं हो जाते, इन दोनों में से जो भी पहले हो, तक अन्य ड्यूटी पर माना जाएगा।

(2) आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे और जिन्होंने आयोग में अपने संविलियन का विकल्प चुना है, उन कर्मचारियों की सेवाओं को, उस कैडर में, जिससे वे संबंधित हैं, आयोग में कर्मचारियों के रूप में नियमित रूप से नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि सरकार के बैच-दर-बैच उनकी नियुक्तियों को मंजूरी देने के आदेशों के अनुसार है और तदनुसार वरिष्ठता निर्धारित की

जाएगी। इस उद्देश्य के लिए आयोग पहले से प्रभावित पदोन्नति की समीक्षा कर सकता है।"

22.हालांकि, उस मामले में इस न्यायालय ने उक्त विनियम को अभिखंडित करने के बजाय, इस तर्क को यथावत रखते हुए कि प्रतिनियुक्ति वाला व्यक्ति प्रतिनियुक्त पद पर संविलियन होने पर अपनी वरिष्ठता गिनने का हकदार है, इस प्रकार टिप्पणी की है : (**SCC** पृष्ठ 223, पैरा 7)

"जब आयोग अंततः इन प्रतिनियुक्ति वालों का विकल्प प्राप्त करने के बाद उन्हें स्थायी रूप से संविलियन करने का निर्णय लेता है, तो आयोग में उनकी आपस में वरिष्ठता का प्रश्न उत्पन्न होता है और विनियम 9(2) उक्त स्थिति से निपटता है। आर.एस. मकाशी बनाम आई.एम. मेनन के मामले में इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि यह एक न्यायसंगत और स्वस्थ सिद्धांत है जिसे आमतौर पर विभिन्न स्रोतों से आने वाले और नई सेवा में सेवा करने के लिए तैयार किए गए व्यक्तियों पर लागू किया जाता है ताकि नई सेवा कैडर में उनकी रैंकिंग निर्धारित करने के लिए उनकी पहले से मौजूद सेवा की अवधि की गणना की जा सके। उक्त सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा के. माधवन के मामले में दोहराया गया था, इस न्यायालय के न्यायमूर्ति विंग कमांडर जे. कुमार के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय ने भी सेवा न्यायशास्त्र में उपरोक्त सुविदित सिद्धांत को दोहराया था...।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपरोक्त मामले में निर्धारित विनिश्चय के कारण से यह स्पष्ट है कि कोई भी नियम, विनियम या कार्यकारी निर्देश जिसका प्रभाव यह होता है कि प्रतिनियुक्त पद पर उसकी वरिष्ठता की गणना करते समय मूल विभाग में एक समकक्ष कैडर में प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा छीन ली जाती है, वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघनकारी होगा। इसलिए, इसे अभिखंडित किए जाने योग्य है। चूंकि आक्षेपित ज्ञापन अपनी संपूर्णता में प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्ति के उपरोक्त अधिकार को नहीं छीनता है और ज्ञापन के आपत्तिजनक भाग को अभिखंडित करके, जैसा कि रिट याचिका में प्रार्थना की गई है, अपीलकर्ताओं के अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है, हम अपीलकर्ता-याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना से सहमत हैं और ज्ञापन में आपत्तिजनक शब्दों "जो भी बाद में हो" को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघनकारी माना जाता है, इसलिए, उन शब्दों को आक्षेपित ज्ञापन के पाठ से अभिखंडित किया जाता है। फलस्वरूप, दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी) के कैडर में अपनी वरिष्ठता की गणना करते समय, बीएसएफ में सब-इंस्पेक्टर के पद पर उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से अपनी सेवा गिनने का अपीलकर्ता-याचिकाकर्ताओं का अधिकार बहाल किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15.इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि क़ानूनों की व्याख्या का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी सांविधिक प्रावधान पर ऐसी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए जो स्पष्ट रूप से निरर्थकता, व्यर्थता, प्रत्यक्ष अन्याय और बेतुकी असुविधा या विसंगति की ओर ले जाए। एस.जे. रूपलाल के मामले (पूर्वोक्त) के निर्णय से यह भी स्पष्ट है कि कोई भी

नियम, विनियम या कार्यकारी निर्देश जिसका प्रभाव यह होता है कि प्रतिनियुक्त पद पर उसकी वरिष्ठता की गणना करते समय मूल विभाग में एक समकक्ष कैडर में प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा छीन ली जाती है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विरुद्ध होगा।

16. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम नियम 12 (2) के खंड (ग) की जांच करेंगे, जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है।

17. खंड (ग) के शुरुआती भाग को सरलता से पढ़ने पर यह पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने पहले से ही अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर समान या समकक्ष श्रेणी धारण कर रखा है, उसकी वरिष्ठता उस तारीख से गिनी जाएगी जब से वह अपने मूल विभाग में समान या समकक्ष श्रेणी धारण कर रहा था। हालांकि, बाद के भाग में यह प्रावधान है कि इस शर्त के अधीन कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जाएगी जिस तारीख से वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है या उस तारीख से जब से उसे उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष श्रेणी पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, इन दोनों में से जो भी बाद में हो। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि नियम 12 (2) (ग) के बाद के भाग में 'जो भी बाद में हो' और 'वर्तमान विभाग' शब्दों के उपयोग का प्रभाव उस अधिकार को छीनना है जिसे नियम 12 (2) के खंड (ग) के पिछले भाग के तहत अन्यथा प्रदान करने की मांग की गई थी, इसलिए, बेतुका और विधि की नजर में शून्य होने के कारण इसे अभिखंडित किए जाने योग्य है। हालांकि,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चूंकि नियम 1961 के नियम 12 (2) का चुनौती दिया गया खंड (ग) अपनी संपूर्णता में याचिकाकर्ताओं के अधिकार को नहीं छीनता है, इसलिए, हम इस मत के हैं कि आक्षेपित खंड (ग) के पाठ के निम्नलिखित भाग को अभिखंडित करके न्याय के उद्देश्य की पूर्ति की जाएगी:-

> "... इस शर्त के अधीन कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जाएगी जिस तारीख से वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है या उस तारीख से जब से उसे उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष श्रेणी पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, इन दोनों में से जो भी बाद में हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.जहाँ तक उतरवादियो के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता सहायक (श्रेणी -III) के कैडर में वरिष्ठता के लिए अपनी पिछली सेवा गिनने के हकदार नहीं हैं क्योंकि प्रतिनियुक्ति या संविलियन की तारीख पर याचिकाकर्ता अपने मूल विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण नहीं कर रहे थे, तो जिला न्यायालय के सेटअप के अनुसार, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 'आदेशिका लेखक का पद क्लास-III कर्मचारियों की श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसके तहत उच्च न्यायालय के सेटअप के अनुसार 'सहायक श्रेणी III' का पद भी आता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को जिला न्यायालय, राजनांदगांव में 5.3.1997 के आदेश द्वारा "आदेशिका लेखक " के रूप में नियुक्त किया गया था और उसकी सेवाओं को 17.5.1999 के आदेश द्वारा उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को शुरू में 'चौकीदार' के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद

में 'चपरासी' के पद पर पदोन्नत किया गया और उसके बाद फिर से 'आदेशिका लेखक ' के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को जिला न्यायालय, रायपुर की स्थापना में 6.3.1999 को सहायक श्रेणी -III के रूप में ही नियमित वेतनमान यानी ₹3050-75-3950-80-4590/- पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति/पदोन्नति आदेशों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर उनकी नियुक्ति से पहले, याचिकाकर्ता अपने संबंधित मूल विभाग में सीधी भर्ती या पदोन्नति आदेशों के आधार पर क्लास-III श्रेणी के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए, उत्तरवादीयों के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर अपनी नियुक्ति से पहले जिला न्यायालय स्थापना में नियमित आधार पर समकक्ष कैडर धारण नहीं कर रहे थे और इसलिए वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते, बलहीन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19.जहाँ तक उतरवादियो द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इंदु शेखर सिंह के मामले (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय पर अवलंब लेने का संबंध है, उस मामले में नियमों के तहत प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्ति की भर्ती/संविलियन का कोई प्रावधान नहीं था और संविलियन का प्रस्ताव उक्त नियमों के तहत किसी विशिष्ट शक्ति के संदर्भ में नहीं, बल्कि इसकी अवशिष्ट शक्ति के प्रयोग में किया गया था और इन परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि 'एक स्वायत्त निकाय में प्रदान की गई पिछली सेवाओं की गणना के संबंध में कोई मौलिक अधिकार नहीं था। पिछली सेवाओं को तभी ध्यान में

रखा जा सकता है जब नियम इसकी अनुमति देते हों या जहां विशेष स्थिति मौजूद हो जो कर्मचारी को पिछली सेवा का ऐसा लाभ प्राप्त करने का हकदार बनाती हो। ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है। वर्तमान मामले में, आकस्मिक परिस्थितियों को देखते हुए, चूंकि नवगठित उच्च न्यायालय को अनुभवी कर्मचारियों की सख्त जरूरत थी, इसलिए क्लास-III श्रेणी के उपयुक्त व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने का निर्णय लिया गया और बाद में उन्हें उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्थापना में इस शर्त के अधीन संविलियन कर लिया गया कि उनकी वरिष्ठता की गणना नियम 1961 के नियम 12 (2) (ग) के अनुसार की जाएगी। इस प्रकार, उपरोक्त उद्धृत मामले में निर्धारित विधि यहाँ उतरवादियो के लिए कोई मदद नहीं करता है क्योंकि उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20.उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, हम यह मानते हैं कि नियम 1961 के नियम 12 (2) के खंड (ग) के ये शब्द: "...इस शर्त के अधीन कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जाएगी जिस तारीख से वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है या उस तारीख से जब से उसे उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष श्रेणी पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, इन दोनों में से जो भी बाद में हो" बेतुका और विधि की नजर में शून्य होने के कारण अभिखंडित किए जाने योग्य हैं और तदनुसार, इन्हें एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

21.उत्तरवादी क्रमांक 1 को निर्देश दिया जाता है कि वह सहायक श्रेणी -III की एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करे और प्रकाशित करे, जिसमें याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता की गणना

मौजूदा नियमों के अनुसार की जाए, अर्थात् नियम 12 (2) के खंड (ग) के उस भाग को छोड़कर जिसे इस आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है।

22.याचिका को ऊपर बताई गयी सीमा तक स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही /- आई.एम. कुद्दुसी न्यायाधीश	सही /- एन.के. अग्रवाल न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smt. Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur